राजस्व अपील संख्या : 111/2024
उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 111/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/600

अपीलाण्ट :–

स्व. इन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह निवासी बीजापुर के कायम मुकाम वारिसानः–

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
2. महिपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. फैन्सी कुंवर पुत्री इन्द्रसिंह
4. रजिया कुंवर पत्नी स्व. इन्द्रसिंह तमाम जाति से राजपुत निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. भीमाराम पुत्र दुजाजी उर्फ दुदाजी
2. स्व. हकीयाराम पुत्र दुजाजी उर्फ दुदाजी के कायम मुकाम वारिसानः–
   2.1. भेराराम पुत्र हकीयाराम
   2.2 शंकर पुत्र हकीयाराम
   2.3 छोगी देवी पत्नी स्व. हकीयाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज.

प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट्सः–

3. केशरसिंह पुत्र रुपसिंह
4. उत्तमसिंह पुत्र रुपसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज.
5. तहसीलदार बाली, जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध रा.वि. प्र.स. 1/2015 निर्णय दिनांक 22.12.2015 या 20.02.2016 बअनवान भीमाराम बनाम इन्द्रसिंह व अन्य जो तहसीलदार बाली द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. **अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी**
2. **रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा व कैलाश पारंगी।**

–:निर्णयः–

दिनांकः 25.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **रा.वि.प्र.स. 1/2015 निर्णय दिनांक 22.12.2015 या 20.02.2016 बअनवान भीमाराम बनाम इन्द्रसिंह व अन्य जो तहसीलदार बाली द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध** पेश की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील सब्जेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 111/2024

उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट एक व दो ने एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अपीलाण्ट के पिता इन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार एवं उनके पिता स्व. रुपसिंह पुत्र जुहारसिंह के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 1/2015 रहे है। जिस मुकदमें में अपीलाण्ट के पिता के नाम नोटीस आने पर उनके द्वारा अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री विरमदेव बाली को नियुक्त किया गया था एवं अपीलाण्ट के पिता को उनके अधिवक्ता ने कहा कि जरुरत पडने पर उनको बुला देंगे एवं जवाब पेश कर पैरवी सही करेंगे। अपीलाण्ट के पिता इन्द्रसिंह को उनके अधिवक्ता विरमदेवसिहं ने जवाब पेश करने हेतु नहीं बुलाया और उनकी और से सही पैरवी भी नहीं की। अदालत मातहत के समक्ष तारीख 20.09.2015 को अपीलाण्ट के पिता का जवाब पेश करने हेतु मौका दिया था लेकिन उनके अधिवक्ता ने उनको सही बुलाया एवं आगामी तारीख पेशी बाबत भी कोई सूचना नही दी। तारीख 27.10.2015 को अपीलाण्ट के पिता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए जिस कारण उनका जवाब बन्द करते हुये कार्यवाही आगे बढाई गई और अधिवक्ता की अनुपस्थिति में रेस्पोडेण्ट के बयान लिए एवं तारीख 01.12.2015 को ही पटवारी हल्का बीजापुर व भू अभिलेख निरीक्षक बीजापुर के बयान लिये जाने हेतु आईन्दा तारीख 22.12.2015 को मुकर्रर की गयी। तारीख 22.12.2015 को सायल अनुपस्थित एवं गैर सायल के अधिवक्ता भी अनुपस्थित, पटवारी हल्का बीजापुर व भू अभिलेख निरीक्षक बीजापुर उपस्थित जिनके बयान लिये एवं पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली लिये जाने की आदेशिका लिखी हुई है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट्स के पिता स्व. इन्द्रसिंह को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी अनुपस्थिति में गलत व गैर कानुनी प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश तारीख 22.12.2015 को पारित किया जाना बताया जबकि तहसीलदार बाली ने निर्णय दिनांक 20.02.2015 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 22.02.2016 को लिखा जाने के विरुद्ध उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि निर्णय जैर अपील विधि विधान एवं कानुन के विरुद्ध पारित किये जाने से काबिल खारिज है।
2. यह कि अदालत मातहत के आदेशिकाओं का अवलोकन करने मात्र से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णय करने का मानस पहले ही बना दिया था जिस कारण बिना अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता इन्द्रसिंह को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है जो काबिल खारिज है।
3. यह कि तारीख 01.12.2015 को पत्रावली मुकरर्र की गयी उस दिन अधिवक्ता सायल व अधिवक्ता गैर सायल अनुपस्थित रहने के बावजुद अदालत मातहत ने अपने स्तर पर ही दोना के बयान लिये जाना आदेशिका में बताया गया। उक्त प्रक्रिया कानुन के विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है अगर सायल व गैर सायल दोनो के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है उसके बावजुद पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के बयान लिये गये ऐसी अदालत मातहत को क्या आवश्यकता हुयी इस बारे में आदेशिका में कोई विवरण नही है। इससे साफ जाहिर है कि अदालत मातहत का मानस पहले से ही अपीलाण्ट के स्व. पिता इन्द्रसिंह के विरुद्ध निर्णय पारित करने का रहा है। जिस कारण भी निर्णय जैर अपील अवैध व कानुन के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।
4. यह कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय 22.11.2015 को पृथक से लिखने का आदेश पारित आदेशिका में किया है लेकिन निर्णय का अवलोकन करते है तो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 111/2024

उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उसमें तारीख 22.02.20016 को निर्णय सरे इजलास सुनाया गया एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होने का जिक्र करते हुए तहसीलदार बाली के हस्ताक्षर है। इस प्रकार तारीख 22.02.2015 को कोई निर्णय पारित नहीं किया एवं उसके दो माह बाद बिना अपीलाण्ट के पिता को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज है। कानुनन पक्षकारों की बहस सुनने के बाद में निर्णय जिस समयावधि में घोषित करना चाहिए उसमें नहीं किया गया एवं उसके दो माह बाद निर्णय की घोषणा की गयी जो रिकॉर्ड से साबित है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो की मिलीभगत से गलत व गैर कानुनी रुप से अपीलाण्ट्स के स्व. पिता को न्याय से वंचित रखने के उद्देश्य से निर्णय पारित की जानकारी उनको नहीं रहे इसी उद्देश्य से आदेशिका में अलग आदेश है और निर्णय में अलग तारीख लिखी हुई है जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने निर्णय गलत गैर कानुनी रुप से बिना तारीख के पारित कर अपील कस्टीटी में रखा और उसकी जानकारी पक्षकारों को नही दी गयी यह निर्णय की तारीखों से आभास होता है जिस कारण भी आदेश/निर्णय जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

5. अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बयान दिये है हालांकि ऐसे बयान की कानुन में कोई अहमीयत नहीं है लेकिन उनका अवलोकन करने मात्र से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को वादग्रस्त भूमि के मौके की भौतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। मौके पर अपीलाण्ट के पिता के अलावा अन्य लोगो का भी भौतिक रुप से कब्जा रहा है उन सभी को खाली करवाने बाबत रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक व दो ने पक्षकार नहीं बनाया है एवं अदालत मातहत ने भी केवल पटवारी हल्का के बयान को आधार मानते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 236 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट के स्व. पिता इन्द्रसिंह का कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो द्वारा ऐसी कोई सहायता की मांग नही की थी। इस प्रकार जिस सहायत बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने कोई रिलीफ नहीं मांगी उस रिलीफ को न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को सुने अपनी मन मर्जी से निर्णय में पारित कर दिया जो निर्णय जैर अपील इसी आधार पर काबिल खारिज है।

6. यह है कि अपीलाण्ट के पिता स्व. इन्द्रसिंह की मृत्यु तारीख 27.08.2020 को होने तक उनको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही रही अन्यथा उनके द्वारा ही कानूनी कार्यवाही की जाती एवं उनकी मृत्यु के बाद भी रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक व दो ने अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय बाबत कोई जानकारी नहीं दी। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध अपीलाण्ट को व उनके पिता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर अदालत मातहत ने निर्णय जैर अपील पारित किया है जो काबिल खारिज है।

7. यह है कि अपीलाण्ट के स्व.पिता ने अपनी तरफ से अदालत मातहत के समक्ष पैरवी करने हेतु अपनी तरफ से अधिवक्ता विरमदेवसिंह को नियुक्त किया था उन्होंने अपीलाण्ट के पिता स्व. इन्द्रसिंह की तरफ से सही पैरवी नहीं करते हुए उनको सूचना दिये बिना निर्णय जैर अपील में घोर लापरवाही अपनाई है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट के पिता को उनके जीवनकाल तक नही दी गयी है। इस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 111/2024
उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकार अधिवक्ता की गलती से किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, एवं अपीलाण्ट के पिता स्व. इन्द्रसिंह जी की मृत्यु तारीा 27.08.2020 को होने तक निर्णय जैर अपील की जानकारी अपीलाण्ट्स को नही थी। हाल ही में आज से करीब 15 दिन पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने अपीलाण्ट को धमकी दी की वादग्रस्त भूमि में से बेदखल करने बाबत हमारे पक्ष में फैसला हो चुका है और हमने इतने दिन इसलिए शांति धारण की कि अपील की म्याद चली जाये लेकिन अब आपको वादग्रस्त भूमि से बेदखल पुलिस के जरिये करवा देंगे।

8. यह कि अपीलाण्ट की तरफ से स्व. इन्द्रसिंह के अधिवक्ता विरमदेवसिंह से सम्पर्क किया तो उन्होंने जाहिर किया कि मेरे पास इन्द्रसिंह जी की कोई पत्रावली नहीं है तथा प्रकरण बाबत भी अनभिज्ञता जाहिर की जिस पर तहसील कार्यालय से अपीलाण्ट ने पत्रावली का पता किया तो तब तारीख 06.11.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की जानकारी हुयी और उसी दिन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग अपीलाण्ट द्वारा की गयी जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 06. 11.2024 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर यह जानकारी हुयी कि अपीलाण्ट के स्व. पिता इन्द्रसिंह जी की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किये गये थे उन्होंने सही पैरवी की एवं स्व. इन्द्रसिंह की को या अपीलाण्ट को कभी भी निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी नहीं दी इन्द्रसिंह जी की मृत्यु तारीख 27. 08.2020 को हो गयी है और उनकी मृत्यु के समय एवं मृत्यु के बाद आज दिन तक अपीलाण्ट मौके पर भौतिक रुप से शांतिपूर्वक ढंग से काबिज चले आ रहे है जिनके विरुद्ध आदेश बाबत पहले कोई जानकारी नहीं रही है। हाल ही में रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो द्वारा बेदखल किये जाने की धमकी देने के कारण अपीलाण्ट ने तहसील कार्यालय से पत्रावली प्राप्त की इस प्रकार अपीलाण्ट के ज्ञान में प्रथम बार तारीख 06.11.2024 को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलाण्ट की तरफ से अपील को देरी से पेश किये जाने वाले डिले को कण्डोन करने हेतु अलग से धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपीलाण्ट्स की तरफ से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2015 व न्यायालय द्वारा सरे इजलास तारीख 20.02.2016 को सुनाये गये निर्णय को अपास्त किया जावे।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं दो के कायम मुकाम की ओर से अपील मीमों का बिन्दुवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने मुकदमा अन्तर्गत धारा 183 बी काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अपीलाण्ट के पिता इन्द्रसिंह पुत्र भैरुसिंह एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार एवं उनके पिता स्व. रुपसिंह पुत्र जुहारसिंह के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष पेश किया था। जिसके मुकदमा नम्बर 1/2015 रहे है। जिस मुकदमें में अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा पेश करने के बाद प्रत्येक तारीख पेशी पर पर्याप्त अवसर न्यायालय द्वारा दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु जवाबदावे हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये अपीलाण्ट पक्षकारान व अपीलाण्ट अधिवक्ता को रेस्पोडेण्ट भीमाराम ने समय समय पर श्रीमान तहसीलदार बाली को प्रार्थना पत्र इस अमर का पेश किया कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी कृषि भुमि के खसरा नम्बर 236 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर मकान निर्माण किया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीजापुर द्वारा माननीय तहसीलदार के आदेश पर पटवारी हल्का ने पेश की इसी तरह के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 111/2024

उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट द्वारा समय समय पर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये जिसकी जानकारी प्रशासन व अपीलाण्ट को थी इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट द्वारा प्रशासन से मिलीभगत कर अवैध मकान निर्माण करता रहा और प्रशासन ने कभी भी रेस्पोडेण्ट की कानुनी सहायत नहीं की। श्रीमान तहसीलदार बाली के निर्णय दिनांक 22.10.2015 में स्पष्ट उल्लेख है कि अप्रार्थी संख्या एक को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 10.03.2015 से 27.10.2015 तक आठ माह समय दिया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया फिर जवाब का अवसर समाप्त किया गया तथा प्रार्थीगण को शहादात हेतु तलब कर बतौर साक्ष्य भीमाराम पीडब्लु 01 हकीया पी डब्लु 02 व पी डब्लु 03 के बयान न्यायालय द्वारा कलमब्द्ध किये गये तथा पटवारी हल्का बीजापुर द्वारा रिपोर्ट का श्रीमान द्वारा अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.20 हैक्टेयर जो रेस्पोडेण्ट की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया प्रमाणित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी का स्पष्ट उल्लघंन प्रमाणित होने से श्रीमान तहसीलदार बाली द्वारा प्रार्थीगण भीमाराम वगैरा के पक्ष में आदेश कर कब्जा दिलवाने हेतु पटवारी हल्का बीजापुर व भू–अभिलेख निरीक्षक बीजापुर को निर्देशित किया कि कब्जा दिलवा कर सुपूर्दगी रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष पेश करे जिससे भी स्पष्ट है कि श्रीमान तहसीलदार बाली के निर्णय 22.15.2015 की आज दिन तक पालना नहीं हुई जिसकी पालना हेतु रेस्पोडेण्ट भीमारा वगैरा ने प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र पेश किये गये जो जवाब के साथ पेश है। इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट ने आज दिन तक कब्जा खाली नहीं किया है उल्टा प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते अपीलाण्ट गरीब अनुसूचित जाति (एस.सी.) का व्यक्ति होते हुए कानुनन न्याय नहीं मिलाव अभी भी प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते हमे प्रशासन से न्याय मिलने की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। क्योंकि वर्तमान तहसीलदार बाली के समक्ष अप्रार्थी भीमाराम वगैरा ने कब्जा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2018, 2020 व 2024 से लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। परन्तु प्रशासन ने अब तक रेस्पोडेण्ट को तहसीलदार बाली द्वारा कब्जा दिलाने हेतु प्रशासन की मदद व जाब्ता नहीं होने का आश्वासन देते हुए छः माह बीत जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ अैर अब श्रीमान के समक्ष अपील धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, की म्याद से बाहर होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया जो बिल्कुल ही आधारहीन व बेबुनियाद है। क्योंकि प्रार्थी/अपीलाण्ट को कब्जा खाली करवाने हेतु समय समय पर सूचना प्रशासन के मार्फत मिलती रही है जिससे अपीलाण्ट को उनके विरुद्ध हुए आदेश की जानकारी होने के उपरान्त भी कानून से अनभिज्ञ हो रहे है जिससे स्थगन आदेश दिनांक 07.11.2024 बिलकुल ही गलत व कानुन के विपरित है। अप्रार्थी को भी कानुनन सुना जाता उसके बाद स्थगन आदेश न्यायहित में हाता अन्यथा आदेश न्याय के विरुद्ध है। जिससे प्रार्थी का स्थगन आदेश दिनांक 07.11.2024 को खारिज किया जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 03 एवं चार बावजुद सूचना अपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली से प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली में ज़ेर अपील आलोच्य प्रकरण निस्तारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट के पिता के अधिवक्ता की लापरवाही से उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। यह भी, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 111/2024

उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

के विरुद्ध पारित बेदखली निर्णय की तिथियों में भी विरोधाभाष है, जो सम्पूर्ण कार्यवाही पर सन्देंह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त आधार है। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस को समेकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा पारित आलेच्य आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2001 (1) 36 प्रस्तुत किया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्को का प्रतिकार करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा विधिसम्मत सुनवाई करते हुए तथा अपीलार्थी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ज़ेर अपील विवादग्रस्त कृषि आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है एवं गैर अनुसूचित जाति से संबंधित अपीलाण्ट उनकी कृषि आराजी पर अवैध कब्जा होने के आधार पर तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 183 (बी.) के प्रावधानान्तर्गत अपीलाण्ट के विरुद्ध बेदखली तथा जुर्माना अधिरोपित करने का विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया, जिसके विरुद्ध आधारहीन आक्षेपों का अवलम्ब लेते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे सव्यय खारिज की जाए। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RJ T (CIVIL) 2023 (2) Page 1451 प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली ने वक्त बहस उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति अर्थात् अपीलाण्ट का अवैधानिक कब्जा प्रमाणित होने पर एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपील खारिज फरमावें।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली से तलब मूल रिकॉर्ड प्रकरण संख्या 01/2015 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीजापुर में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 236 रकबा 0.20 हैक्टयेर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण के पिता श्री इन्द्रसिंह का अवैधानिक कब्जा मानते हुए तथा अनुसूचित जाति वर्ग की खातेदारी कृषि भूमि पर गैर अनुसूचित जाति से सम्बद्ध व्यक्ति के कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी.) के अन्तर्गत उक्त स्व. इन्द्रसिंह के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया,अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को हस्तगत अपील के माध्यम से प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य प्रकरण संख्या 01/2015 में निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की लापरवाही के कारण उनके विरुद्ध पारित एकतरफा निर्णय काबिल खारिज है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण संख्या 1/2015 दिनांक 23.02.2015 दर्ज कर अपीलार्थीगण के पिता स्व. इन्द्रसिंह एवं अन्य अप्रार्थीगण के सम्मन प्रेषित किए गए। अगली सुनवाई तिथि पर स्व. इन्द्रसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा। आलोच्य प्रकरण संख्या 01/2015 की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा अपीलाण्ट के पिता स्व. इन्द्रसिंह को अपने बचाव में प्रत्युतर व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.03.2015 से लगभग आठ माह तक पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए एवं इसके उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 27.10.2015 को जवाबपत्र पेश करने का अवसर बन्द किया गया। इससे अपीलार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 111/2024
उनवान : स्व. इन्द्रसिंह के का.मु. राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम भीमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना में ज़ैर अपील आलोच्य आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके पूर्व अधिवक्ता की लापरवाही से नतीजन पारित आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि किसी न्यायिक प्रकरण में प्रभावी पैरवी एवं अनुरक्षण का दायित्व अधिवक्ता के साथ साथ उस प्रकरण से संबंधित पक्षकार का भी समान रुप से होता है एवं कोई पक्षकार द्वारा ऐसे किसी निर्णय की वैधता को मात्र इस आधार पर चुनौति देना न्यायोचित नहीं माना जा सकता कि उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी में लापरवाही या कमी बरती गई।

अपीलार्थीपक्ष द्वारा आलोच्य निर्णय के विरुद्ध यह आक्षेप भी प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 में आदेशिका दिनांक 22.12.2015 को उक्त प्रकरण निर्णीत किया गया, किन्तु निर्णय में दिनांक 22.02.2016 अंकित है। अपीलार्थीगण के उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 01/2015 के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पत्रावली में पृथक से सलंग्न निर्णय के शीर्षक में दिनांक 22.12.2015 ही अंकित है, यद्यपि निर्णय के अन्तिम पद में निर्णय सरे इजलास सुनाने की तिथि 22.02.2016 अंकित है। किन्तु तिथि अंकन संबंधि यह विरोधाभाष लिपिकीय त्रुटि मात्र है, चूंकि निर्णय के शीर्षक में अंकित तिथि तथा अन्तिम आदेशिका की तिथि में कोई विरोधाभाष नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजुहातों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 1/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाए जाने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
R.A.5
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली